झारखण्ड सरकार

परिवहन विभाग

एफ० एफ० पी० भवन, धुर्वा, राँची

-: निविदा :-

झारखण्ड राज्य अन्तर्गत वाहनों पर परावर्तक पट्टी (Reflective Tape) लगाने हेतु निविदा के सम्बन्ध में -

झारखण्ड राज्य अंतर्गत बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं के दृष्टिगत रात्रिकालीन परिवहन को सुदृढ़ बनाने हेतु केन्द्रीय मोटर यान निमयावली, 1989 के नियम 104 में संशोधनोपरांत अधिसूचना सं॰- 784(अ), दिनांक-12.11.2018 के माध्यम से सभी परिवहन यानों में निर्धारित मानक AIS-090-2005 मानक का परावर्तक पट्टी (Reflective Tape) लगाया जाना अनिवार्य है, जिन्हे केन्द्रीय मोटर यान निमयावली, 1989 के नियम 126 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट एजेंसियों/अभिकरणों से कराया जाना है।

परावर्तक पट्टी (Reflective Tape) निर्माता वे सभी कम्पनी जो केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट एजेंसियों/अभिकरणों में से किसी अभिकरण द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के साथ राज्य के अन्दर बिक्री हेतु राज्य परिवहन आयुक्त के समक्ष आवेदन समर्पित करेंगे, उन्हे समीक्षोपरांत विहित आवेदन शुल्क अदा करने पर बिक्री की अनुमति प्रदान किया जाना है। राज्य परिवहन आयुक्त, झारखण्ड से बिना पूर्वानुमति प्राप्त किये कोई भी परावर्तक पट्टी (Reflective Tape) निर्माता कम्पनी/एजेंसी राज्य के अन्दर अपने उत्पाद की बिक्री नहीं करेगा।

CMVR एक्ट-104 अन्तर्गत परावर्तक पट्टी (Reflective Tape) निर्माण हेतु निम्न योग्यता होना वांछित होगा :-

(i) परावर्तक पट्टी (Reflective Tape) AIS-090-2005 मानक के अनुरूप होना चाहिए।

(ii) कम्पनी/एजेंसी के पास Type Approval Certificate होना चाहिए।

(iii) कम्पनी/एजेंसी ARAI, Pune, CIRT, Pune अथवा ICST, Manesar से अभिप्रमाणित होनी चाहिए।

(iv) परावर्तक पट्टी (Reflective Tape) एवं वाहनों के ट्रैकिंग हेतु MIS (Management Information System) की उपलब्धता।

(v) परावर्तक पट्टी कम्पनी OEM (Original Equipment Manufacturer) Supplier होनी चाहिए।

उक्त के संबंध में EOI परिवहन विभाग के आधिकारिक वेबसाईट में देखा जा सकता है, संलग्न की गई EOI के अनुरूप योजना प्रस्ताव एवं वांछित कागजात के साथ आवेदन पत्र जमा करने की तिथि-23.09.2019 के संध्या 5.00 बजे तक होगा।

आवेदन जमा करने का पता :--

संयुक्त परिवहन आयुक्त (सड़क सुरक्षा)
परिवहन विभाग, इन्जिनियर्स होस्टल-2, धुर्वा, राँची-834004

❖ नोट पूर्व में प्रकाशित परावर्तक पट्टी (Reflective Tape) से संबंधित निविदा (PR.No. 213003 Transport (19-20)) के तहत समर्पित आवेदनकर्ताओं को पुनः आवेदन करने की आवश्यता नही है। उनके आवेदनों को वर्त्तमान में प्राप्त निविदा के साथ ही विचार किया जायेगा।

ह॰/-

संयुक्त परिवहन आयुक्त (सड़क सुरक्षा)
झारखण्ड, राँची।

सचिव
परिवहन विभाग।